Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में हैड कानिस्टेबल 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *19 अक्टूबर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर एस.यू. इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते महेश कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना महाजन, जिला बीकानेर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर एस.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके ट्रक को 102 जा.फौ. में कार्यवाही नहीं कर छोडने की एवज में महेश कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना महाजन, जिला बीकानेर द्वारा **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्नोई** के सुपरविजन में एसीबी बीकानेर एस.यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक श्री गुरमैल सिंह** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये महेश कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना महाजन, जिला बीकानेर को परिवादी से **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।